प्रेस नोट
दिनांक 24.05.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा नकली करेंसी बनाने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार, नकली करेंसी व उपकरण बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा नकली करेंसी बनाने वाले गिरोह के 02 सदस्यों–01. अर्जुन गोस्वामी पुत्र मनोहर निवासी ग्राम कम्हरौरा, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा, 02. विश्वनाथ सिंह पुत्र भगवती सिंह निवासी ग्राम तुलसीपुर मांझा, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही से नकली करेंसी व करेंसी बनाने के उपकरण बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 23 मई 2025 को थाना नवाबगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग कस्बा नवाबगंज के बढ़ईपुरवा मोहल्ला के एक किराए के मकान में नकली भारतीय करेंसी का निर्माण किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंचकर अभियुक्त अर्जुन गोस्वामी पुत्र मनोहर गोस्वामी निवासी ग्राम कमरौरा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा को नकली नोट बनाते समय गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अर्जुन गोस्वामी ने बताया कि नकली करेंसी निर्माण में उसका सहयोग विश्वनाथ सिंह पुत्र भगवती सिंह निवासी ग्राम तुलसीपुर मांझा थाना नवाबगंज करता है, तथा अयोध्या में भी एक स्थान पर नकली नोट बनाने की फैक्ट्री है। अर्जुन गोस्वामी की निशानदेही पर पुलिस टीम रामहाल्ट स्टेशन, अयोध्या स्थित एक निर्माणाधीन मकान में पहुँचकर अभियुक्त विश्वनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्तों के कब्जे और कमरों से नकली करेंसी, करेंसी छापने की मशीनें, सांचे, कागज, प्रिंटर, रसायन, यूएसबी, कंप्यूटर उपकरण, हरे व सफेद रंग की नोट की तार बनाने की पन्नी, थिनर, डीकोटिंग पाउडर, हेयर ड्रायर, और अन्य निर्माण सामग्री बड़ी मात्रा में बरामद की गई। बरामद नकली नोटों में ₹100 के कुल 32 नकली नोट (₹3200 मूल्य) एवं 40 पृष्ठों पर ₹100, ₹200 व ₹500 के नोटों की छपाई शामिल है। इसके अतिरिक्त, 31 सादा पृष्ठों पर नकली हॉलमार्क सहित आरबीआई जैसी छपाई, तथा 2 पृष्ठों पर महात्मा गांधी की तस्वीर व 200 व 500 अंकित नोट की छपाई भी मिली। पूछताछ में अभियुक्तों ने नकली करेंसी निर्माण की बात स्वीकार की है यह अभियुक्तगण पूर्व में भी ऐसे अपराधों में लिप्त रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 168/2025, धारा 178,179, 180,181,182,318(4), 338,341(1) भारतीय न्याय संहिता में अभियोग पंजीकृत किया गया है। थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय ए0एस0जे0–03 लखनऊ के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों से ज्ञात हुआ यह लोग काफी सालो से नकली भारतीय करेंसी बनाने का कार्य कर रहे है। प्रारंभ में उन्होंने इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से नकली नोट बनाने की विधियाँ सीखी बाद में लैपटॉप, प्रिंटर और नोट में प्रयुक्त चमकीली पन्नी तथा पेंट ऑनलाइन और स्थानीय बाजारों से एकत्र किए तत्पश्चात बनाये गए नकली नोटो का आम जनता को असली नकली की पहचान किए बिना ग्रामीण क्षेत्रों के कम पढ़े–लिखे दुकानदारों और फुटकर विक्रेताओं से बदल देते थे। अभियुक्त अर्जुन इस गिरोह का सरगना है जिसका मुख्य सहयोगी विश्वनाथ सिंह है, जो न केवल नकली नोटों के निर्माण में तकनीकी सहायता देता है बल्कि नकली नोटों की आपूर्ति, वितरण एवं सौदे में भी भागीदार है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अर्जुन गोस्वामी पुत्र मनोहर निवासी ग्राम कम्हरौरा, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।
02. विश्वनाथ सिंह पुत्र भगवती सिंह निवासी ग्राम तुलसीपुर मांझा, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–168/2025 धारा 178,179,180,181,182,318(4),338,341(1) बीएनएस थाना नवाबगंज गोण्डा।

बरादमगी–

01. 32 नोट 100 रूपये के नकली भारतीय करेन्सी (कुल 3200 रूपये)
02. नकली करेन्सी बनाने के उपकरण 01 अदद लैपटाप
03. 02 अदद प्रिन्टर
04. 01 अदद यू0एस0बी0 पोर्ट कनेक्टर,
05. 01 अदद वायर्ड की बोर्ड
06. 01 अदद वायर्ड माऊस
07. 04 अदद सांचे
08. 01 अदद सांचा दबाने की मशीन
09. 03 अदद छोटी बडी हरे व सफेद रंग की नोटो की तार बनाने की पन्नी
10. 01 अदद सांचे पर चलने वाला वाइपर
11. 04 पुडिया सांचा धुलने के उपयोग मे आने वाला डीकोटिंग पाऊडर
12. 02 शीशी मे थिनर
13. 01 प्लास्टिक के डिब्बे मे सफेद रंग का पेन्ट
14. 01 अदद हेवल्स कम्पनी का हेयर ड्रायर (नोट सुखाने के लिए)
15. 01 अदद नोट काटने की मशीन
16. 01 प्लास्टिक में टिशुनुमा पेपर
17. 40 अदद पेज पर 100 रूपये 200 रूपये नोट व 500 रूपये की नोट एक तरफ छपा हुआ
18. 31 अदद सादा पेज हरे रंग का तार जिसपर अंग्रेजी में आर0बी0आई0 का हलमार्क बना
19. 02 अदद पेज रेखांकित महात्मा गांधी जी की तस्वीर छपी व बगल में 200 व 500 अंकित

अभियुक्त अर्जुन गोस्वामी पुत्र मनोहर का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0 34/19 धारा 489बी,489सी भादवि थाना खोंडा जिला ट्रांस हिण्डन (कमिश्नरेट गाजियाबाद)
02. मु0अ0सं0–869/21 धारा 34, 489–ए, 489–बी, 489–सी, 489–डी भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–215/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गिहोबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–63/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

विश्वनाथ सिंह पुत्र भगवती सिंह आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–869/21 धारा 34, 489–ए, 489–बी, 489–सी, 489–डी भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–215/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गिहोबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. अभय सिंह थानाध्यक्ष नवाबगंज
02. उ0नि0 उत्कर्ष कुमार पाण्डेय।
03. उ0नि0 विभव सिंह।
04. हे0का0 सुनील यादव।
05. हे0का0 रोशन सिंह।
06. का0 रामअवतार यादव।
07. का0 अरविन्द यादव।
08. का0 सुरेन्द्र कुमार।
09. का0 अभिषेक यादव।
10. कां0 विनय राय।
11. म0कां0 अर्चना सिंह।
12. म0कां0 नीलू सिंह।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 24-05-2025

ऑपरेशन "साइबर कवच" के दृष्टिगत थाना कोतवाली नगर टीम द्वारा पीड़ितों की फ्राड गयी 4,78,236/- रूपये की धनराशि करायी वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ितों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ितों ने गोण्डा पुलिस को दिया धन्यवाद-

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में साइबर सेल टीम द्वारा पीड़ित के फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि **4,78,236/- रूपये** पीड़ितों के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक 01. भाष्करानन्द उपाध्याय निवासी निकट रोडवेज थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा, 02. शरद अवस्थी निवासी राधाकुण्ड, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा, 03. समृद्धी श्रीवास्तव निवासी परसनपुरवा, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा के अलग अलग तरीके से साइबर फ्राड के माध्यम से रूपये फ्राड़ं हो जाने की तुरंत शिकायत आवेदकों द्वारा साइबर क्राइम की वेबसाइड पर तत्काल आनलाइन शिकायत दर्ज करायी तथा साइबर सेफ पार्टल पर शिकायत अपलोड किया। जिसके जांच के क्रम में कोतवाली नगर साइबर टीम द्वारा सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए आवेदक भाष्करानन्द उपाध्याय के 3,28,434/-रूपये, आवेदक शरद अवस्थी के 1,30,200/- रूपये व आवेदिका समृद्धि श्रीवास्तव के 20,002/-रूपये इस तरह पीड़ितों के कुल 4,78,236/- रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ितों द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए गोण्डा पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

नोट- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।

07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

साइबर हेल्पडेस्क टीम थाना कोतवाली नगर
01 . उ0नि0 उदित कुमार वर्मा
02. आ0 पंकज कुमार
03. म0आ0 शिवनी तिवारी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 24.05.2025, थाना नवाबगंज

जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध देशी तमंचा के साथ आरोपी अभियुक्त 01. मोहम्मद कैफे पुत्र शादिक अली निवासी ग्राम चकशिवरहा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को डेलीपुरवा जफरापुर मार्ग से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.05.2025 को थाना नवाबगंज के उ0नि0 संजीव सिंह मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि डेलीपुरवा जफरापुर मार्ग के पास 01 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर अभियुक्त 01. मोहम्मद कैफे पुत्र शादिक अली निवासी ग्राम चकशिवरहा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0स0- 169/2025, धारा 3/25 आर्मस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मोहम्मद कैफे पुत्र शादिक अली निवासी ग्राम चकशिवरहा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 169/2025, धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 संजीव सिंह
02. हे0का0 देशदीप गिरि
03. हे0का0 राजकिशोर

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 24.05.2025, थाना कोतवाली नगर

जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जालसाजी कर फर्जी वसीयत कराने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-054/2023, धारा 419, 420, 467, 468, 471 व 120बी भा0द0वि0 थाना को0नगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 लालबहादुर निवासी झुडिया शेक दहीर थाना कोतवाली देहात जनपद बहराईच को रोड़वेज के पास सड़क के किनारे से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना कोतवाली नगर, गोण्डा को लिखित सूचना दिए कि उसके पति की मृत्यु दिनांक 26.11.2018 को हो गयी है। उनके मात्र 02 पुत्रीयाँ है। उसी के लालच में विपक्षीगण द्वारा जालसाजी व कूटरचित कागजात तैयार कर फर्जी वसीयतनाम करा लिए है और जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे है। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-054/2023, धारा 419, 420, 467, 468, 471 व 120बी भा0द0वि0 बनाम रामधीरज आदि 05 नफर आदि के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना अपराध शाखा गोण्डा के निरीक्षक श्री अरूण कुमार द्वारा की जा रही है। आज दिनांक 24.05.2025 को को0नगर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 लालबहादुर निवासी झुडिया शेक दहीर थाना कोतवाली देहात जनपद बहराईच को रोड़वेज के पास सड़क के किनारे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 लालबहादुर निवासी झुडिया शेख दहीर थाना कोतवाली देहात जनपद बहराईच।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-054/2023, धारा 419, 420, 467, 468, 471 व 120बी भा0द0वि0 थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 धीरेन्द्र सिंह
02. का0 संदीप कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।